



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1019

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 33511 वर्ष 2025

निर्मल राम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अंजनी कुमार रघुवंशी, सुजान सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुजान सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री अरिमर्दन यादव की दलीलें सुनीं और मामले के अभिलेखों का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका निर्मल राम

की ओर से दायर की गई है। इसमें उन्हें मुकदमा अपराध संख्या 98/2025, धारा 8/20, मादक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम, 1985, पुलिस स्टेशन, जी.आर.पी., जिला- मुरादाबाद के अंतर्गत जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक के कब्जे से 32.100 किलोग्राम गांजा बरामद होने का आरोप है। वास्तव में आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई है। आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए अपराध में उसे झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50, 52 और 57 का सख्ती से पालन करने में विफल रहा है। आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में आरोपपत्र पहले ही 4.9.2025 को दाखिल किया जा चुका है और आवेदक से आगे की हिरासत में पूछताछ की अब आवश्यकता नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न और पीड़ित करने के उद्देश्य से इस अपराध में झूठा फंसाया गया है। आवेदक, जो 8.7.2025 से जेल में है और जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति में शामिल होने के कारण, आवेदक की निर्दोषता का निर्णय मुकदमे से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता है, इसलिए आवेदक किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधि में लिप्त हो जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले के तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिकार, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्यों की प्रकृति, दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप मिलने वाली सजा की गंभीरता, आरोपी-आवेदक का चरित्र, आरोपी से संबंधित विशिष्ट परिस्थितियाँ, मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनहित/राज्य के व्यापक हित और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला है।

अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपी **निर्मल राम** को व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतों को समान राशि में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आरोपी जांच या मुकदमे के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आरोपी बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा। जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश.

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।